"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 अगस्त 2011—श्रावण 21, शक 1933

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2011

क्रमांक ई-1-5/2006/1/2.—छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग को CSE-2006 के तहत आवंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारी श्री रवि प्रकाश गुप्ता को लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम दौर के प्रशिक्षण की समाप्ति पर राज्य में प्रशिक्षण के लिये सहायक कलेक्टर, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. उपर्युक्त अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम दौर के प्रशिक्षण के बाद कार्यमुक्त होने पर, कार्यग्रहण अवधि का लाभ उठाकर अपनी पदस्थापना के जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2011

क्रमांक ई-01-02/2011/एक/2.—सुश्री शहला निगार, भा.प्र.से. (2001), संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन तथा पदेन संयुक्त सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को केवल संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन के प्रभार से मुक्त करते हुए अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, तकनीकी शिक्षा एवं पदेन संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

सुश्री निगार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. सुब्रमण्यम, भा.व.से., सचिव, मुख्यमंत्री, सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, आयुक्त सह संचालक, तकनीकी शिक्षा तथा नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल केवल आयुक्त सह संचालक, तकनीकी शिक्षा के प्रभार से मुक्त होंगे.

2. सुश्री संगीता पी. भा.प्र.से. (2004), उप सचिव, मंत्रालय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

सुश्री संगीता पी. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम 9 के तहत संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन, रायपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

3. सुश्री आर. संगीता, भा.प्र.से. (2005), उप सचिव, मंत्रालय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

सुश्री आर. संगीता द्वारा कार्यभार ग्रहण करने सुश्री रीता शाण्डिल्य, भा.प्र.से., उप सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, संचालक, राज्य साक्षरता मिशन एवं संचालक, माध्यमिक शिक्षा मिशन को केवल संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, रायपुर के प्रभार से मुक्त किया जाता है.

सुश्री आर. संगीता द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम 9 के तहत् संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, रायपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2011

क्रमांक ई-01-02/2011/एक/2.—श्री भीम सिंह, भा.प्र.से. (2008), सहायक कलेक्टर, जिला मुख्यालय, बिलासपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा, जिला-दुर्ग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

विधि एवं विधायी विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2011

क्रमांक 5079/1837/21-ब/छ.ग./2011.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री शेखर राम, अधिवक्ता, कटघोरा, जिला-कोरबा को आदेश जारी होने के दिनांक से पुन: तीन वर्ष की कालावधि हेतु कटघोरा, जिला-कोरबा के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2011

क्रमांक 5080/1837/21-ब/छ.ग./2011.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री शेखर राम, अधिवक्ता, कटघोरा, जिला-कोरबा को आदेश जारी होने के दिनांक से पुनः तीन वर्ष की कालावधि हेतु कटघोरा, जिला-कोरबा के लिये अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम कुमार तिवारी, अतिरिक्त सचिव.

वित्त विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2011

क्रमांक 690/1680/2010/स्था./चार.—छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्र. 43 सन् 1973) की धारा 21 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची की कंडिका (क) में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

1. सरल क्रमांक 3 एवं 9 विलोपित किये जाएं, अर्थात्

03. गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर,
09. छ.ग. राज्य स्थित म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल के अंतर्गत क्षेत्रीय केन्द्राध्यक्ष.

2. सरल क्रमांक 11 के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक जोड़े जाएं, अर्थात् :—

12. छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर,
13. सरगुजा विश्वविद्यालय, अंबिकापुर, सरगुजा, छ.ग.

No. 690/1680/2010/Estt./IV.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 21 of the Chhattisgarh Sthaniya Nidhi Sampariksha, Adhiniyam, 1973 (No. 43 of 1973) the State Government, hereby, makes the following further amendments in paragraph (A) of the Schedule of the said Adhiniyam, namely :—

AMENDMENT

1. Serial number 3 and 9 shall be omitted, namely

03. Guru Ghasidas Vishwavidhyalaya Bilaspur,
09. Regional Centre Superintendent of M.P. Bhoj (Open) University, Bhopal Situated in Chhattisgarh.

2. After Serial number 11, the following serial numbers shall be added :—

12. Chhattisgarh Ayush & Health Science University, Raipur,
13. Surguja University, Ambikapur, Surguja, C.G.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. जे. खत्री, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 17 जून 2011

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./13/अ-82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	तिल्दा	मोहदी प.ह.नं. 16	381, 382	0.30	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर.	कौटा नाला व्यपवर्तन के दायीं तट नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			590	0.44		
			549, 692	0.35		
			377, 378	0.19		
			380	0.18		
			367	0.06		
			379	0.03		
			641/2	0.10		
			383/1	0.01		
			383/2	0.01		
			582, 583	0.08		
			589	0.02		
			642/2	0.20		
			384	0.60		
			386	0.27		
			588	0.14		
			628, 629	0.16		
			625	0.18		
			630, 632	0.08		
			631	0.32		
			643	0.20		
			586	0.06		
			604, 605	0.43		
			587	0.11		
			623	0.02		
		योग	**25**	**4.54**		

रायपुर, दिनांक 17 जून 2011

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./14/अ-82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	तिल्दा	खपरीखुर्द प.ह.नं. 16	202	0.02	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर.	कोटा नाला व्यपवर्तन के दायीं तट नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			1036/1	0.13		
			273	0.02		
			457/1	0.03		
			578	0.03		
			204	0.06		
			433/2	0.03		
			205	0.18		
			1104	0.01		
			455	0.07		
			561, 562	0.18		
			729/2	0.13		
			207/3	0.02		
			234	0.03		
			222	0.10		
			1036/2	0.13		
			557	0.18		
			728/2	0.05		
			229/1	0.05		
			206	0.04		
			430	0.09		
			218/1	0.12		
			1024	0.10		
			470	0.03		
			233	0.10		
			1038	0.10		
			1124/5	0.05		
			1099	0.02		
			1103/1	0.15		
			429/1	0.08		
			225	0.10		
			228/1	0.05		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			733/1	0.03		
			274	0.04		
			480/1	0.25		
			743	0.05		
			559	0.07		
			577	0.17		
			527	0.03		
			1124/3	0.20		
			217	0.03		
			1032	0.13		
			433/1	0.07		
			581	0.14		
			1123	0.02		
			1025 ब	0.03		
			1100	0.10		
			729/1	0.16		
			460	0.01		
			226	0.02		
			221	0.09		
			1022	0.05		
			556	0.18		
			439	0.02		
			237/1	0.05		
			730	0.01		
			461	0.04		
			480/4	0.03		
			456/1-2	0.05		
			476	0.01		
			740/1-2	0.05		
			453/1	0.02		
			457/3	0.01		
			453/2	0.03		
			431/1	0.05		
			431/2	0.07		
			1029	0.11		
			1102	0.02		
			442	0.04		
			443	0.04		
			1021	0.06		
			1026	0.09		
			1101	0.12		
			734	0.18		
			1030	0.10		
			224	0.01		
			454	0.09		
			735	0.10		
			230	0.04		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			1037	0.15		
			227	0.05		
			441	0.14		
			451	0.04		
			1023 ब	0.10		
			736	0.16		
			737	0.06		
			1122	0.03		
			223	0.05		
			462/1	0.02		
			576	0.03		
			733/5	0.09		
			738	0.04		
			739	0.03		
			741/2	0.05		
			743, 1184	0.06		
		योग	95	6.89		

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2011

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./24/अ-82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	तिल्दा	कोटा प.ह.नं. 15	25/1, 86/1	0.020	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर.	कोटा नाला व्यपवर्तन के दायीं तट नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			95	0.146		
			25/2	0.223		
			33/7	0.263		
			36	0.146		
			37/1	0.004		
			37/3	0.016		
			37/2	0.146		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			40/1	0.020		
			77/2	0.105		
			50/1	0.385		
			343/2	0.012		
			49/1	0.041		
			78/1, 79/1, 756/1	0.004		
			87/1, 2, 3, 4, 5	0.227		
			88	0.008		
			90	0.146		
			92	0.142		
			93	0.036		
			347/1, 348/1	0.065		
			362	0.097		
			424	0.049		
			425	0.048		
			426	0.008		
			430	0.089		
			360	0.036		
			455/1	0.008		
			431/2	0.093		
			431/3	0.065		
			431/4	0.089		
			423/2, 431/1	0.008		
			346/1	0.405		
			346/2	0.020		
			361	0.045		
			363/1	0.057		
			365/1	0.024		
			365/2	0.016		
			366/1	0.036		
			366/2	0.040		
			365/3	0.012		
			367/1	0.171		
			455/3	0.243		
			455/4	0.243		
		योग	50	4.056		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 20 जुलाई 2011

क्रमांक 27/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजिन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	बिटकुला प.ह.नं. 32	9.03	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	रामवतार जलाशय योजना दायीं एवं बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 20 जून 2011

क्रमांक 3/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-बिलासपुर
  (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
  (ग) नगर/ग्राम-पीपरखूंटी
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.51 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	372/1	1.50
	372/2	5.86
	383/1	1.15
योग	3	8.51

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सोनकछारनाला जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 जून 2011

क्रमांक 4/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड

(ग) नगर/ग्राम-सारबहरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.53 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	731/6 ड़	1.28
	731/6 ख/20 ख	1.45
	731/6 प/17 ख	0.05
	731/6 क/33	1.64
	731/6 ग/2	0.11
योग	4	4.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-आंदुल जोगीडोंगरी जलाशय डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 जून 2011

क्रमांक 5/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड

(ग) नगर/ग्राम-गौरखेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-22.38 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	86	0.66
	277	0.36
	77	1.37
	82	0.51
	79	2.52
	32	0.35
	76	8.12
	45	1.00
	75	2.52
	342	2.20
	313	0.92
	36	1.85
योग	12	22.38

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सोनकछारनाला जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 जून 2011

क्रमांक 16/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड

(ग) नगर/ग्राम-भदौरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.57 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1264/2	0.10
1269/1	0.55
1261/3	0.17
1266/4	0.30
1283/13	0.25
1264/6	0.30
1261/2	0.17
1264/1	0.20
1262/3	0.20
1275	0.32
1280/2	0.36
1271/2	0.29
1271/3	0.28
1264/1	0.08
योग 13	3.57

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-आंदुल जोगीडोंगरी जलाशय की दायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 जून 2011

क्रमांक 17/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-आन्दू
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.08 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
580/2	0.42
604/1	0.28
580/1	0.46
582	0.18
584	0.14
588	0.18
589/2	0.42
योग 7	2.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-आंदुल जोगीडोंगरी जलाशय डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 जुलाई 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 21/अ-82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-बिलासपुर
- (ग) नगर/ग्राम-नेवासा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.14 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
875	0.14
योग 1	0.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-अकलतरी जलाशय योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 जुलाई 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 1/अ-82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-सोंठी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.70 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	1665	0.09
	1614	0.19
	1615	0.16
	1657	0.33
	1666	0.09
	1663/3	0.07
	1821/2	0.15
	1617/1	0.24
	1721/1	0.07
	1823/1	0.05
	1719	0.06
	1721/3	0.11
	1722/2	0.07
	1722/1	0.15
	1725/1	0.23
	1724/1	0.06
	1825	0.22
	1822	0.14
	1827/2	0.03
	1827/3	0.09
	1849/1	0.03
	1656/1	0.16
	1849/7	0.03
	1849/5	0.10
	1849/4	0.16
	1665/2	0.22
	1720	0.04
	1665/1	0.11
	1823/2	0.03
	1898	0.13
	1899	0.09
योग	31	3.70

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-रामवतार जलाशय दायीं मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 जुलाई 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 15/अ-82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-बिटकुला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.57 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
430/1	0.12
430/2	0.04
426	0.02
425	0.11
414	0.07
415	0.08
418	0.10
280	0.04
282/2	0.02
307	0.02
282/1	0.08

(1)	(2)
299/1	0.03
314	0.04
315	0.02
300	0.04
299/2	0.09
305	0.10
309	0.02
249/1	0.10
310	0.03
2/4	0.72
331	0.68
योग	2.57

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-रामवतार जलाशय बायीं माइनर स्पील चैनल एवं बांध निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 21 जुलाई 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 05/अ-82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-कुटेला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.88 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
53	0.15
69/1	0.27
71/2	0.33
71/3	0.09
74/1	0.44
77	0.09
82	0.09
85	0.42
योग	1.88

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-विद्या एनीकट पहुंच मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 जुलाई 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 16/अ-82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-पोंड़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.20 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
462	0.15
461/3	0.12
461/2	0.11
469/3	0.15
519/2	0.09
514	0.15
515	0.15
495/6	0.29
511/1	0.20
353/1	0.15

(1)	(2)
505/1	0.20
504	0.08
503	0.12
496/1	0.30
495/5	0.29
497	0.09
2239	0.24
406	0.04
408	0.18
405	0.19
413/2	0.18
413/1	0.13
413/3	0.13
415	0.17
627/2	0.06
230/1	0.05
511/4	0.15
230/2	0.05
228	0.12
227	0.15
631/1	0.08
628	0.06
629/2	0.17
636	0.18
639	0.12
660/1, 688/1, 889/1, 897/1	0.70
865/1	0.05
865/2	0.10
866	0.11
867	0.15
868	0.15
869	0.09
870	0.18
858	0.31
857	0.06
414	0.15
864/1	0.30
420	0.26
421/1	0.15
426	0.17
510/2, 510/3	0.04
425	0.35
428/2	0.14
629/3	0.09
630	0.04
627/2	0.08
660/15	0.22
660/16	0.22
योग	9.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बिटकुली जलाशय नरगोड़ा शाखा नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.